विषय : सेवा सम्बन्धी मामलों पर मन्त्रणा प्राप्त करने के लिये केसिज को मुख्य सचिव को भेजने का ढंग।

क्या सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, उपरोक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 50/3/82-5 जी.एस. I, दिनांक 30.8.82 की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. उक्त संदर्भित परिपत्र में मुख्य सचिव को केसिज भेजने के ढंग का उल्लेख किया हुआ है, लेकिन हिदायतों की दृढ़ता से पालना नहीं की जा रही है और प्रस्ताव अवर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव या विभाग स्वयं अपने स्तर से ही मुख्य सचिव को भेज देते हैं, जबकि उक्त हिदायतों में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रशा सचिव के माध्यम से ही मामला मुख्य सचिव को भेजा जाये।

3. इसके अतिरिक्त कई एक मामलों में न तो प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव की दोहरी प्रति लगी है, न ही हवाला के तौर पर दी गई हिदायतों/नियमों की प्रति लगी होती है और न ही उस (बिन्दु) का विशेष रूप से उल्लेख होता है, जिस पर मुख्य सचिव की मंत्रणा प्राप्त की जानी है। इन सब के में प्रस्ताव विभागों को वापिस करने पड़ते हैं जिसके कारण मामले के निपटान में अनावश्यक विलम्ब होता है।

4. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में कोई भी प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजते समय हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि जब भी कोई प्रस्ताव मुख्य सचिव मन्त्रणा हेतु भेजा जाये, उसमें उपरोक्त वांछित पूर्ण सूचना संलग्न हो और यह प्रस्ताव प्रशासकीय सचिव के से ही भेजा जाये।

5. सभी वित्तायुक्तों/प्रशासकीय सचिवों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी विभागाध्यक्ष भी ये निर्देश जारी करें कि वे मुख्य सचिव की मन्त्रणा लेने बारे कोई भी पत्र व्यवहार सीधे ही मुख्य सचिव करें, बल्कि अपने प्रशासकीय सचिव को ही लिखें। इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्षों को जारी किए गए निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी भेजी जाए।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

हस्ता/-
अवर सचिव सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

सभी वित्तायुक्त आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार।

अ.शा. क्रमांक 6/12/93-2 जी.एस. I — दिनांक चण्डीगढ़ 19-8-93.

पृष्ठांकन क्रमांक 6/12/93-2 जी.एस. I — दिनांक चण्डीगढ़ 19.8.93

उपरोक्त की एक प्रति सभी विभागाध्यक्षों/निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशकों/आयुक्त अम्बाला, हिसार, एवं गुड़गांव मंडल तथा सभी उपायुक्तों को सूचनार्थ तथा पालनार्थ प्रेषित की जाती है। उनसे अनुरोध है यदि किसी मामले पर मुख्य सचिव की मन्त्रणा लेने की आवश्यकता पड़े तो मामला हमेशा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से ही प्रस्तुत किया करें। उनसे सीधा प्राप्त हुआ पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा